	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.|6|22	पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्तागण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली मान आदेशानुसार [illegible] वा दिनांक 20/7/22 को पेश हो Lu	
20/7/22	बहुवाद उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से टंकित कर शामिल पत्रावली रहे पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कट हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 83 / 2021

1. महावीर प्रसाद उम्र 62 वर्ष पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू
2. रतिराम उम्र 64 वर्ष पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू
3. करणाराम उम्र 55 वर्ष पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू

आवेदक

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. भवंरलाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. रोहिताश पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

वकील प्रार्थीगण – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थीण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 20.07.2022

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम टमकोर पटवार हल्का टमकोर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 903 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 904 रकबा 4.35 है0, खसरा नम्बर 911 रकबा 1.95 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.88 है0 आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थी अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 912 में से खोहरी से जवाहरपुरा जाने वाले रास्ते से नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी तक आवागमन करते रहे है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अन्त में प्रार्थी को जमीन जैर बहस में आने–जाने के लिये भूमि ख0न0 912 में से खोहरी से जवाहरपुरा जाने वाले रास्ते से नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक रास्ते को 4 मीटर चौड़ा कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि या डी. एल.सी. दर की दुगुनी कीमत आवेदकगण चुकाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

आवेदन पत्र अं. धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6क के तहत EXPARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1016 दिनांक 14.05.2022 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ख0न0 903, 911, 904 में आवागमन हेतु इन खसरा नम्बरान के आसपास कोई कटानी रास्ता नहीं है। वादीगण का खेत ग्राम खोहरी की सीमा के पास स्थित है। ग्राम खोहरी से जुहारपुरा जाने वाला प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 912 व 902 में से होकर गुजरता है। जो वादीगण के खेत के उत्तर दिशा में है। नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु संख्या सी से डी के बीच की दुरी 88 मीटर है व चौड़ाई 4 मीटर है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु ख0न0 912 में से होकर गुजरने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि अथवा डी.एल.सी की दुगुनी दर से राशि दिये जाने की सहमती दी है। परन्तु धारा 251क में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यातिंक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत खसरा नम्बर 903, 904 व 911 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 912 में से ग्राम खोहरीसे जुहारपुरा जाने वाले रास्ते से 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो तहसीलदार मलसीसर की मौका रिपोर्ट में बिन्दु संख्या सी से डी तक दर्शित है, को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

20/7/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर